

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936
No. 253]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2014

सं. 72-प्रेस/2014.—भारत के राष्ट्रपित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में, अपनी क्षमता के रूप में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच उपयुक्त प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वभर की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए निम्नवत वर्गों में कुलाध्यक्ष पुरस्कार आरंभ करते हैं तथा इस संबंध में पुरस्कार शासी नीचे दिए गए दिशा निर्देश, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे, को निर्मित, नियत तथा स्थापित करते हैं:

क्रमांक	पुरस्कार का नाम	विवरण
1.	सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	प्रशंसा पत्र और ट्राफी
2.	नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	प्रशंसा पत्र और एक लाख रुपए नकद पुरस्कार
3.	अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	प्रशंसा पत्र और एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार

2. उद्देश्य

प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से उत्कृष्टता प्रोत्साहित करना । इन पुरस्कारों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच उपयुक्त प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहित करने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विश्वभर की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने में मदद मिलेगी ।

3. पात्रता

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिनके कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपित हैं, सर्वोत्तम विश्वविद्यालय पुरस्कार के योग्य होंगे । सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समस्त संकाय सदस्य और विद्यार्थी नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार तथा अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार के पात्र होंगे । व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह आवेदन कर सकता है ।

4. मानदंड

तीनों कुलाध्यक्ष पुरस्कार के मानदण्ड इस प्रकार होंगे:-

- (क) सर्वोत्तम विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष पुरस्कार-वर्ष के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता तथा समग्र उल्लेखनीय कार्य हेतु ।
- (ख) नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार-वर्ष के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के व्यक्ति या समूह द्वारा विकसित और प्रदर्शित विशिष्ट नवान्वेषण हेतु ।

4245 GI/2014 (1)

(ग) अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार—वर्ष के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए मौलिक अनुसंधान हेतु ।

5. पुरस्कार का स्वरूप और संख्या

प्रत्येक वर्ग में केवल एक पुरस्कार होगा और ये पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।

6. चयन की पद्धति

राष्ट्रपति द्वारा अंतिम चयन के लिए, चयन समिति द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा । समिति का संघटन इस प्रकार होगा :

- (i) राष्ट्रपति की सचिव-अध्यक्ष
- (ii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय-सदस्य
- (iii) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग-सदस्य
- (iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सदस्य
- (v) कार्यकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन-सदस्य
- (vi) महानिदेशक, औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद-सदस्य
- (vii) राष्ट्रपति द्वारा नामित शिक्षा, अनुसंधान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के दो प्रख्यात व्यक्ति-सदस्य
- (viii) राष्ट्रपति सचिवालय के एक अधिकारी-सदस्य सचिव
- (ix) पुरस्कारों के नामांकन का कार्यक्रम राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

चयन समिति निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित करेगी । चयन समिति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को चुनने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्मित करेगी । जिसे भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

7. पुरस्कार प्रदान करना

राष्ट्रपति फरवरी माह में वार्षिक रूप से आयोजित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपितयों के वार्षिक सम्मेलन के समय पुरस्कार प्रदान करेंगे।

8. पुरस्कारों की अधिसूचना

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

ओमिता पॉल, राष्ट्रपति की सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

No. 72-Pres/2014.—The President of India, in his capacity as Visitor of the Central Universities, is pleased to institute Visitor's Awards in the following categories to promote healthy competition amongst central universities and motivate them to adopt best practices from around the world in the pursuit of excellence and in this behalf, to make, ordain and establish the following guidelines governing the award which shall be deemed to have effect from date of publication of this notification:

Sl. No.	Title of the Award	Details
1.	Visitor's Award for the Best University	Citation and Trophy
2.	Visitor's Award for Innovation	Citation and Cash reward of Rupees One lakh
3.	Visitor's Award for Research	Citation and Cash reward of Rupees One lakh

2. Purpose:

To encourage excellence through competition. These awards would help promote healthy competition amongst central universities and motivate them to adopt best practices from around the world in the pursuit of excellence.

3. Eligibility:

All Central Universities, of which the President of India is Visitor, will be eligible for the Award for the Best University. All faculty members and students of all the Central Universities will be eligible for the Visitor's Award for Innovation as well as Visitor's Award for Research. Individuals / group of individuals can apply.

4. Criteria:

The criteria for the three Visitor's Awards will be as under:-

- (a) Visitor's Award for the Best University For academic excellence and overall outstanding work by the central university during the year.
- (b) Visitor's Award for Innovation For unique innovation developed and displayed by individual or group of the central university during the year.
- (c) Visitor's Award for Research For path-breaking research carried out by individual or group of the central university during the year.

5. Nature and Number of Award:

There will be only one award in each category and these Awards will be given annually.

6. Method of Selection:

A panel of awardees would be prepared by a Selection Committee for final selection by the President. The Committee will have the following composition—

- (i) Secretary to the President Chairperson
- (ii) Secretary, Dept. of Higher Education, Ministry of HRD Member
- (iii) Secretary, Dept. of Science & Technology Member
- (iv) Chairman, University Grants Commission (UGC) Member
- (v) Executive Vice-Chairman, National Innovation Foundation Member
- (vi) Director General, Council for Industrial & Scientific Research (CSIR) Member
- (vii) Two persons of eminence in the field of academics, research and other relevant fields to be nominated by the President Member
- (viii) An Officer from the President's Secretariat Member Secretary
 - (ix) The schedule for the nomination of the Awards will be notified by the President's Secretariat.

The selection committee will invite online nominations in the prescribed formats. The selection committee will devise its own procedure to select the awardees, which will be put on the website of the President of India.

7. Presentation of Award:

The awards shall be presentated by the President at the time of Annual Conference of the Vice Chancellors of Central Universities held annually in the month of February.

8. Notification of the Awards:

The names of the recipients of awards will be published in the Official Gazette.

OMITA PAUL, Secy. to the President